न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस)

मु0 संख्या 38 /2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	बनाम	1 श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राह्मण मूल निवासी– गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.) 2मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.)

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

–:: आदेश ::– दिनांकः 30नवम्बर 2017

श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि–

1. यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खादय सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खादय सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खादय सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आंवटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि अभियुक्त कं सं. 1. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राह्मण मूल निवासी– गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक 2. मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.) हैं।
3. यह है कि दिनांक 25.04.2017 को 10एएम मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान, संस्थान पर नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राह्मण मूल निवासी– गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर पर कारोबार कर रहा था जिसका विकेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो खाद्य अनुज्ञापत्र होना बताया।
4. यह है कि खादय सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल दुकान मे विक्रय कर रहा था, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विकेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल नमूने

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

वास्ते 4 पॉली पैक दिया जिसके पेटे 104 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल को खोल कर संकडे मुंह की चार साफ सुखी बोतलो में बराबर भरकर 40–40 बूंदे फार्मालिन बतौर परिरक्षक मिलाई और नमूना बोतलो को एयर टाइट ढक्कन से बंद कर चारो नमूनो पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना बोतलों पर चिपकाए एवं खाली रेपर बोतल के साथ संलग्न किये। लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन– 683 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। और बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–683 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील सें मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–683 दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर दिनांक 27.04.2017 को स्वयं लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 25.04.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2017/14957–59 दिनांक 08.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्याा **L.S./395/Act/2017/394 –** दिनांक 03.05.2017 अनुसार उक्त नमुना अमानक (सब–स्टेण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन–683 दिनांक.के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक क्र. सं. 1. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राह्मण मूल निवासी– गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक 2. मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.) ने अमानक दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

10. *श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें* जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

ख़ाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 27.11.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया :-

1- मुझे गैरसायल द्वारा नमूना जॉच सामग्री दूध अमूल गोल्ड ब्राण्ड में किसी प्रकार की मिलावट नही की गई है नमूना जॉच में सब स्टेडर्ड स्तर का पाया गया ।

2- जॉच में नमूना अखाद्य पदार्थ अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नही पाया गया है ।

3- गैरसायल अपना जुर्म स्वीकार करते हुवे मामले में लोकअदालत की भावना से निर्णय की प्रार्थना करता हूँ ।

4- भविष्य में पूर्ण सावधानी बरतेगा तथा विक्रय की जानें वाली सामग्री सब स्टेण्डर्ड नही हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगा ।

5- गैरसायल का प्रथम अपराध होनें से उसे क्षमा करनें अथवा न्यनतम दण्ड से प्रकरण को निस्तारण करनें की प्रार्थना करता है ।

6- लोक अदालत से किए जानें वाले निर्णय के विरूद्ध में आगे किसी भी न्यायालय में अपील नही करूगा ।

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है ।गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की गई है तथा जुर्म स्वीकार कर लेनें से गैरसायलान द्वारा अमानक दुध अमूल गोल्ड ब्राण्ड पॉली पैक 500 एमएल का विक्रय करनें के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम2011 की धारा 51,में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसायल नम्बर एक व दो पर सयुक्त रूप से रूपये 25000/-अखरे रूपये पच्चीसहजार मात्र की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राप्ट के माध्यम से एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।

निर्णय आज दिनांक 30 .11 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल स्वामी)
न्याय निर्णयन अधिकारीएवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/ दिनांकः- 30 .11.2017

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित हैः-

1- खाद्यसुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2-अभिहीतअधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जैसलमेर/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 35 वर्ष, जाति ब्राह्मण मूल निवासी- गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जिला जैसलमेर राज. एफ.बी.ओ. मालिक मैसर्स भादरिया राय जनरल एण्ड दुध भंडार गफूर गफूर भट्टा, मेन रोड, स्कूल नं. 3 के पास, जैसलमेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर